न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी निग/2989/II/15

हरीदास कुशवाह पुत्र श्री पजन कुशवाह
आयु–70 वर्ष, व्यवसाय – कुछ नहीं
निवासी–वार्ड कमांक 3, निवाडी, जिला –
टीकमगढ, म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

गुलाब सिंह यादव पुत्र श्री चैनू यादव
आयु– लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय– दूध का धन्धा
निवासी–चौपरा मोहल्ला, वार्ड कमांक 4, निवाडी,
जिला– टीकमगढ ....अनावेदक

दिनांक 3.9.15 को श्री सुरेन्द्र खरे अधि0 द्वारा प्रस्तुत/ 3.9.15 SO

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 24/05/2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसली निवाडी, जिला टीकमगढ (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 29/अ/12./14–15 में पारित कर अनावेदक द्वारा भूमि खसरा कमांक 1674/4 के सीमांकन हेतु दिये गये आवेदन पत्र को स्वीकार कर निगरानीकर्ता की आपत्तियॉ दिनांक 18/05/15 निरस्त की है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, भूमि सर्वे कमांक 1674/4 की आराजी निगरानीकर्ता द्वारा वजर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांकी 06/09/83 कय की गयी और कय करने के पश्चात् विधिवत् राजस्व अभिलेख में नामान्तरण कराया जाकर खसरा पंचशाला में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार निगरानीकर्ता भूमि खसरा कमांक 1674/4 रक्वा 0.474 है0 का तन्हा स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्यधारी है जिससे अनावेदक का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। खसरा पंचशाला वर्ष 1985–86, नामान्तरण पंजी दिनांकी 15/02/83 से 07/04/84 तक निगरानी के साथ संलग्न किया जाकर कमंशः एनेक्जर ए/2 व ए/3 से चिन्हित किया गया है।

2– यह कि, अनावेदक द्वारा भूमि खसरा कमांक 1674/4 की कोई भूमि कय नहीं की है। अनावेदक द्वारा भूमि खसरा कमांक 1673/4 रक्वा 0.336 है0 वजर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांकी 20/06/97 कय किया जाना कहा जाता है। इस प्रकार भूमि खसरा कमांक 1674/4 से अनावेदक का किसी प्रकार का कोई हक वास्ता नहीं है। अनावेदक का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एनेक्चर A/4 है।

निग. 2989/2/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश —1—	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.15	प्रकरण में मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अभिभाषक के कायमी पर तर्क सुने जाकर, तथा उपलब्ध अभिलेखों की प्रतियों का अवलोकन करके, उन्हें पेशी दि. 6.10.15 को यह बताया गया था कि वे अद्यतन राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वर्तमान में किसके नाम है, एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, जिसे उन्होंने पेशी दिनांक को अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ की मालिन में हस्ताक्षर कर नोट भी किया गया था, किन्तु अभी तक कोई मांगे गए दस्तावेज या उनकी प्रति पेश नहीं की। आवेदक हरीदास के नाम ख.नं. 1673/8 एवं 1674/4 होने संबंधी जो खसरा पांचसाला की प्रति उन्होंने पेश की है, वह 1985-86 से संबंधित है (Annexure A/2)। प्रकरण में Annexure A/4 पर 20-6-97 का विक्रय पत्र अभिलेखित है, जिसके अनुसार	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 2989/II/15 जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक हरदास ने अनावेदक गुलाबसिंह को ख.न. 1673/1, 1673/4 एवं 1674/1 विक्रय किए हैं। इस खसरा पांचसाला में ख.न. 1674/4 का रकबा 0.336 है लिखा है, एवं विक्रय विलेख में ख.न. 1673/4 का रकबा 0.336 है लिखा है। सीमांकन करने वाले राजस्व अधिकारियों ने कहीं यह बिन्दु नहीं उठाया है कि गुलाबसिंह द्वारा सीमांकन हेतु आवेदित भूमि ख.न. 1674/4 रकबा 0.336 उसकी नहीं है। सीमांकन के सूचना पत्र में हरदास का अंगूठा निशान है, किन्तु पंचनामे में यह लिखा है कि हरदास, जिन्हें पंचनामे में सरहदी	

[कृ. प. उ.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2989/4/15 जिला ....

— 3 —

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रथक होना लिखा है, सूचना उपरान्त मौके पर उपस्थित नहीं हुए।	
	उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में मैं प्रथमदृष्टया यह पाता हूँ कि वर्ष 1985-86 में हरदास के नाम पर ख.नं. 1674/4 राजस्व अभिलेखों में था, किन्तु वर्तमान में यह ख.नं. 1674/4 किसके नाम है, यह अवसर दिये जाने के बावजूद आवेदक अभिभाषक ने स्पष्ट नहीं किया।	
	खसरा पांचसाला में लिखे ख.नं. 1674/4 एवं विक्रय विलेख में लिखे ख.नं. 1673/4 — दोनों का समान रकबा 0.336 हे. लिखा होने के प्रकाश में, मेरे अनुसार इस बात से इन्कार नहीं किया	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

जा सकता कि विक्रय विलेख में या भूल से बदनीयतीवश, गलत खसरा नम्बर (यानि 1674/4 की जगह 1673/4) लिख दिया गया है, जिसका अब लाभ हरदास उठाना चाहते हैं।

चूंकि सीमांकन कार्यवाही में 1674/4 का सरहदी कृषक हरदास को होना लेख किया गया है, अतः मैं यह प्रथमदृष्टया मानता हूँ कि संबंधित राजस्व अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख एवं नक्शा देखकर ही हरदास को ख.न. 1674/4 का सरहदी कृषक, ना कि भूमिस्वामी, माना होगा।

अतः, उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, मैं राजस्व मण्डल के स्तर की राजस्व निरीक्षक मण्डल खिवाड़ी,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2989/II/15 जिला

— 5 —

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 29/अ12/14-15 में पारित सीमांकन आदेश दि. 24/05/15 में कोई हस्तक्षेप किए बगैर यह प्रकरण तहसीलदार निवाड़ी को यह निर्देश देते हुए रा.मं. से समाप्त करने का निर्णय लेता हूं कि वे (तह. निवाड़ी) अपने समक्ष अद्यतन राजस्व अभिलेखों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह चेक करें कि विवादित ख.नं. 1674/4 किसके नाम है, एवं होना चाहिए। इस बिन्दु का निर्धारण करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो तहसीलदार उभय पक्ष को अपने पक्ष समर्थन का अवसर भी दें, एवं अपना निष्कर्ष एक बोलते हुए निर्णय के स्वरूप में आगे लिखित करें।	

[कृ. प. उ.

1074 · 2784/4/15

हीकम्बाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	- 6 - ऐसा करने के उपरान्त, यदि तहसीलदार ख.न. 1674/4, गुलाब सिंह का होना पाते है, तो RI का सीमांकन आदेश दि 24.5.15 स्थिर रहेगा। इसके विपरीत यदि तहसीलदार ख.न. 1674/4 गुलाबसिंह का होना नही पाते है तो यह सीमांकन आदेश, तह. के आदेश दिनांक से अपास्त माना जायगा। तहसीलदार, अपने समक्ष की ऊपर लिखी कार्यवाही, इस आदेश की उन्हे संसूचना के तीन माह के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण करें। पक्षकार, इस आदेश की उन्हे संसूचना के 15 दिवस के भीतर तहसीलदार निवाड़ी के समक्ष, यदि वे अपना ऊपर लिखे बिन्दु पर अपना पक्ष समर्थन करना चाहते हो तो, उसे पक्ष समर्थन हेतु, अनिवार्यतः उपस्थित हो। उभय पक्ष सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द.हो।	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

26.10.15